

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ़

ओमप्रकाश

बनाम

अंगेजकौर आदि

किरम मुकदमा : 53, 188 RTA

प्रकरण संख्या 117/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
15.02.2023	यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 24/03/2023 को पेश हो	
24/3/23	रशील वादी उपस्थित । प्रतिवादी सं- 2, 4, 15, 17, 18, 20 की ओर से श्री नरेन्द्र बिरौर जोशी Adv. व प्रतिवादी सं- 10 की ओर से श्री राजपाल शेरवा, श्री मंगीलाल देहू Adv. के वकालत पत्रा विश की शामिल मिसल हो । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. सम्मन पत्रा विश की शामिल मिसल हो । शेष प्रतिवादीगण के आग्रह लगावार्ज जर्ज फलु शेष प्रतिवादीगण उपर नही । पत्रावली वास्ते प्रवाद / इतिहास अपविही / तलबी दिनांक 28/4/23 को पेश हो	
29/4/23	इतिहासी पेश दुई श्रीगणेशी.ओ. साहब अल्प कार्य में इतिहासी हो पत्रावली दि. 19/4/23 को पेश हो	
30.5.23	पत्रावली आधी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आधीना पत्र उपलुत करने पर पेशी में ली गई । आधी के आधीना पत्र प्रलुत कर निवेदन किया कि डाका में वादी आगे बोर्ड कार्यवाही नहीं चास्ता है । इतिहासी वाद को रवारिज किया जाना आवश्यक है । वाद को रवारिज फरमावे । आधी के आधीना पत्र को स्वीकार कर अनुवानी प्रकरण रवारिज किया जाता है । पत्रावली नम्बर के हुम होकर दाखिल दफतर हो	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)